


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)

अभिलेख सं० 19 (X) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिधि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
25/07/16	<p>झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीष्ठ परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा <u>खरनी</u> थाना नं० <u>153</u> खाता नं० <u>205</u> प्लॉट नं० <u>757, 776, 1358, 1356</u> रकबा <u>1.00 एकड़</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी ॥ के जिल्द सं० <u>5</u> के पृष्ठ संख्या <u>437</u> पर जमाबंदी रैयत <u>झारखण्ड सरकार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>1.8.16</u> को उपस्थापित करें।</p>	250)


 अंचल अधिकारी,
 तोपचौची
 25.7.16

20

अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन पास है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में शुभन शर्मा द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष..... तक भुगतान किया गया है ।

मौजा-खरनी थाना नं०.....153.....खाता संख्या205.....

प्लॉट संख्या-757, 776.....रकबा.....1.00 ए०.....धूर कुल.....1.00 ए०.....
1358, 1356

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-11 में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।
2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया ।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पास गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।


अतः मौजा-खरनी थाना नं०.....153.....

खाता संख्या205.....प्लॉट संख्या-757, 776.....रकबा.....1.00 ए०.....धूर, कुल
.....धूर, भूमि जो प्रतिवादीशुभन शर्मा.....के नाम पर पंजी-11 में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख शुभन शर्मा कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित


27/11/20
अंचल अधिकारी


27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

तोपचाँची ।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

7000
4/5/14

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - शत्रुघ्न चंदाकर 3/8 मुसली (892)

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण -

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
परजी	153	205	757 776 1357 1358	1.60 एकर

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 5 पृष्ठ सं० 437 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89

5. खतियान के अनुसार उल्लेखित भूमि के खातेदार का नाम - शत्रुघ्न चंदाकर

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - प्राधिकारित भू सं० 46(X) 88-89

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - कानून/परजी)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - पंजी-II सं०

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	652987	23.3.98	77-98

3/14

को.

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं० 19(X) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

सुरेन्द्र चण्ड केवट

पिता - मुन्शी धर केवट

ग्राम - 2020A पो० तोपचौंची

थाना - तोपचौंची जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा 2020A
थाना नं० 163 खाता नं० 206 प्लॉट नं० 767
रकबा 1.07 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० 10 के पंजी II
भाग के पृष्ठ 437 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 1-8-16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :-

स्थान :- तोपचौंची



अंचल अधिकारी

तोपचौंची

25.7.16

21/07/16 केवट
21/07/16